न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/295

मिसल नम्बर– 93/2024

1.श्रीमती नूर बानो आयु 60 वर्ष पत्नी मरहूम इंसाफ अली जाति मुसलमान निवासी म.नं0 39 बी मदीना मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.अशरफ आयु 40 वर्ष पुत्र मरहूम इंसाफ अली
2.असलम आयु 34 वर्ष पुत्र मरहूम इंसाफ अली जाति मुसलमान निवासीगण म.नं0 39 बी मदीना मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/12/25

उपस्थिति:–

1.श्री जाकिर मोहम्मद अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री समीउद्दीन अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की आयु 60 वर्ष की है, वृद्ध महिला है, सिनियर सिटीजन है, ओर प्रार्थीया म.न 39 बी मदीना मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड कोटा राजस्थान की निवासी है, तथा प्रार्थीया के पति का देहान्त हो गया है, प्रार्थीया विधवा है, प्रार्थीया वृद्ध होने से उससे कोई काम धन्धा नही होता है,आय का उसके पास कोई जरिया नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पुत्र है जो कि अपने पुत्रो के कर्तव्यो को भूल गये है, जबकि प्रार्थीया ने अपनी सभी संतानो का ब्याह कर दिया है, प्रार्थीया को कोई खर्चा नही देते है,न ही सेवा सुश्रुषा करते है,न ही हारी बीमारी मे इलाज कराते है,बल्कि प्रार्थीया के साथ लडाई इगडा गाली गलोच करते है,उसके साथ अभद्र व्यवहार करते है,जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पति के मकान 39 बी मदीना मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड कोटा जो दो मंजिला पक्का बना हुआ है,उसके मकान पर ही अप्रार्थीगण मय परिवार निवास करते है,तथा एक दुकान है,जिसका दुकान नं 122 वाकै धानमंडी एरोड़ाम सर्किल कोटा मे स्थित है,जिसमे अप्रार्थीगण शामलाती रूप से व्यवसाय करते चले आ रहे है,उक्त दुकान व मकान प्रार्थीया के पति की स्वअर्जित सम्पति है,इसके बावजूद

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

भी अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को कोई खर्चा नही देते है,न ही उसका भरण पोषण का इंतजाम करते है,ना ही हारी बीमारी मे इलाज कराते है,अपने पुत्रो के कर्तव्यो का कतई निर्वहन नही कर रहे है, प्रार्थीया जो बुजूर्ग है,विधवा महिला है,अक्सर बीमार रहती है,कमजोर है,कोई काम धन्धा करने में भी सक्षम नही है,अपना गुजर बसर करने में सक्षम नही है,प्रार्थीया के भूखो मरने की नौबत आ गयी है,लेकिन अप्रार्थीया कोई खर्चा नही देते रहे है। अप्रार्थीगण उक्त दुकान से व्यवसाय कर प्रतिमाह 100,000रू0 प्रतिमाह आय अर्जित कर लेते है,ओर वे प्रार्थीया के लिए प्रतिमाह भरण पोषण, कपड़े लत्ते हारी बीमारी में इलाज आदि के लिए 20–20 हजार रू. अदा करने मे पूरी तरह से सक्षम है, जो खर्चा,प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से दिलाया जावे। प्रार्थीया को उक्त खर्चा की सख्त रूप से आवश्यकता है,प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को दिनांक 4.9.2024 को जर्ये अधिवक्ता नोटिस भी प्रेषित कराया लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नही की इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। अतःप्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से प्रार्थीया के लिए प्रतिमाह भरण पोषण, कपडे लत्ते हारी बीमारी मे इलाज आदि के लिए 20–20 हजार रू.दिलाये जाने का आदेश प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीया के पक्ष मे हो अता फरमायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की आयु व सिनियर सिरटीजन एवम उक्त पते पर निवास व विधवा होना स्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया का सम्पूर्ण भरण पोषण किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के 4 बहने है सबकी शादी होगई है। दो राजस्थान के बाहर रहती है और दो कोटा में रहती है। अप्रार्थीगण का परिवार सहित निवास करना एवं धानमंडी मे दुकान होना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है। क्योकि अप्रार्थीगण दो भाई चार बहने है। चारो बहनो की शादी हो चुकी है दो राजस्थान के बाहर रहती है दो की शादी कोटा मे ही हुई है जब जब भी चारो बहने एवम उनके पति व बच्चे आते है या उनके घर मे कोई प्रोग्राम होता है तो अप्रार्थीगण ही सारा लेन देन आदि करते है। अप्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीया के पति का लगभग 4 वर्ष पूर्व ही देहान्त हो चुका है गत चार वर्षों से अप्रार्थीगण ही प्रार्थीया का सम्पूर्ण खर्च वहन कर रहे है क्योकि प्रार्थीया उनकी माता है इसलिये अप्रार्थीगण अपने पुत्र होने का कर्तव्य कर रहे है प्रत्येक माह अप्रार्थीगण प्रार्थीया को हाथ खर्च के पैसे देते है एवम समस्त परिवार जिसमे अप्रार्थी क्रम 1 का चार लोगो का परिवार है व अप्रार्थी क्रम 2 का भी चार लोगो का परिवार है जिसका भी सम्पूर्ण खर्च मकान के नल बिजली टूट फूट मरम्मत आदि का खर्च भी अप्रार्थीगण ही करते है प्रार्थीया वेसे तो स्वस्थ है चलती फिरती है यदि बीमार हो जाती है अप्रार्थीगण ही उनकी देखभाल व सार संभाल दवा आदि इलाज आदि करवाते है। जिस मकान मे अप्रार्थीगण निवास करते है उक्त मकान उनके पिता के नाम है व धानमंडी एरोड्राम मे स्थित दुकान भी पिता के नाम है जो कि वह अपने जीवन काल मे दोनो को संभला गये थे। कि दोनो भाई उक्त दुकान से रोजगार करके अपने परिवार चलाना क्योकि दुकान लगने के वर्ष 2006 से ही अप्रार्थीगण भी अपने पिता के व्यापार मे साथ साथ काम करते चले आरहे है। अप्रार्थीगण उक्त दुकान से 35 से 40 हजार रूपये मासिक दोनो मिलकर कमा पाते है जिसमे दोनो आप्रार्थीगण का 8 लोगो का परिवार व एक प्रार्थीया का भरण पोषण करते है। जब प्रार्थीया अप्रार्थीगण के साथ ही निवास कर रही है और अप्रार्थीगण प्रार्थीया का पूर्ण रूप से ध्यान रखते है तो ऐसी सूरत मे इस अवस्था मे 20 –20 हजार रूपये भरण पोषण प्रार्थीया अपने किस आवश्यक कार्य के लिये

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सेवा चाहती है। क्योंकि अप्रार्थीगण के पिता के समय से ही पूरा परिवार एक साथ रहता चला आरहा है। अप्रार्थीगण के बच्चे स्कूल भी पढने जाते है ऐसी सूरत मे 35–40 हजार रूपये मासिक कमाई मे से अप्रार्थीगण पृथक पृथक 20–20 हजार रूपये प्रार्थीया को प्रत्येक माह देने मे असमर्थ है क्योंकि अप्रार्थीगण का भी स्वयं का 4–4 लोगो का परिवार है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया यानि अपनी माता को आज तक किसी प्रकार की कोई आर्थिक परेशानी नहीं आने दी है या ही भविष्य मे आने देगें प्रार्थीया की चारो पुत्रियों का विवाह हो चुका है ऐसी सूरत मे जब कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण के साथ ही निवास करती है। एवम सुख दुख मे भी अप्रार्थीगण ही प्रार्थीया की सेवा करते है फिर प्रार्थीया को 20–20 हजार रूपये प्रति माह की क्यों आवश्यक्ता है जो कि उचित नही है एवम असंभव है क्योकि अप्रार्थीगण की प्रत्येक माह संयुक्त रूप से 35–40 हजार रूपये मासिक कमाई होने से इतनी बडी राशि प्रार्थीया को देना संभव नहीं है। इस उम्र मे प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से सेवा की जरूरत है। जो अप्रार्थीगण 24 घंटे साथ रहकर सेवा करने को तत्पर व तेयार है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण दुकान व्यवसाय होने के कारण अप्रार्थी को 1,00,000/– रु. मासिक आमदनी होती है। अतः अप्रार्थीगण से 20,000–20000/– रूपये भरण पोषण राशि दिलवायी जावे। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब में कथन किया है कि प्रत्येक माह सयुक्त रूप से 35–40 हजार रूपये मासिक कमाई होने से इतनी बड़ी राशि प्रार्थीया को देना संभव नहीं है इस उम्र में प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से सेवा की जरूरत है। जो अप्रार्थीगण 24 घंटे साथ रहकर सेवा करने को तत्पर व तेयार है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के कथनों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 10,000/–10,000/–रूपये मासिक प्रत्येक अर्थात 20,000/–रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा